प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 13.05.2019

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर चोरी किए गए 02 चांदी के सिक्के, 4000 रूपये व घटना मे प्रयुक्त सब्बल, मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक आज दिनांक 13.05.19 को उ0नि0 संजीव कुमार मय पुलिस फोर्स के देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे कि जब भूतेश्वर मन्दिर पर आये तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 10.05.19 की रात्रि मे मौ0 इन्दिरानगर मे जो सामान चोरी किया गया था, उसको लेकर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से शमशानघाट की तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 संजीव कुमार मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो शमशानघाट की तरफ से एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर समय करीब 13.05 बजे अभियुक्त को चोरी किए गए सामान व घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सलमान पुत्र फरमान उर्फ लम्बू निवासी मौ0 रूकन सराय मनिहारो वाला कुआं थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 02 चांदी के सिक्के।
2- 4000 रूपये नकद
3- एक सब्बल (घटना मे प्रयुक्त)
4- एक पैशन प्रो मोटर साईकिल यूपी-15सीए-7530 (घटना मे प्रयुक्त)

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सलमान द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 10.05.19 की रात्रि मे वादिया श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी संजीव कुमार शर्मा निवासी मौ0 इन्दिरानगर थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के घर का ताला तोडकर 02 टोप्स, सोने की चैन, घडी व कुछ चांदी के सिक्के चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध मे थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-377/19 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त सलमान द्वारा घटना मे चोरी किया गया अन्य सामान अपने साथी के पास होना बताया, जिसकी गिरफतारी के भी प्रयास किए जा रहे है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम-

1. श्री ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. उ0नि0 संजीव कुमार
3. का0 अशोक कुमार, का0 विशाल कुमार।